GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2014/TG-I/20/P/STBS **New Delhi, dated 14.05.2015**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 28 OF 2015)

Sub: Extension of scheme of Station Ticket Booking Sewak (STBS)

Instructions were issued vide this office letter no. 2011/TG-I/20/P/JTBS dated 24.10.2013 (Commercial Circular no. 66 of 2013) regarding appointment of STBS at 'E' category stations as a pilot project for one year only.

2. Based on the feedback received during the pilot project, the modified STBS scheme is being finalised in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and will be issued shortly.

2.1 In the meantime, references have been received from Zonal Railways seeking clarifications regarding the STBS who are already working and have completed one year as STBS. Railways have also requested for extension of the scheme beyond the period of one year.

3. Accordingly, the matter has been examined in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and it has been decided that the tenure of the existing STBS who have completed one year may be extended for another six months or till finalisation of tender as per new provisions, whichever is earlier.

3.1 Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

14/5/15
(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board

No. 2014/TG-I/20/P/STBS New Delhi, dated 14.05.2015

Copy to:
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

(M. K. Dubo)
For Financial Commissioner/Railways

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/टीजी-I/20/पी/एसटीबीएस

नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीये रेलें.

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 28)

विषय:- स्टेशन टिकट बुकिंग सेवक(एसटीबीएस) की योजना की समयावधि बढ़ाना।

इस कार्यालय के दिनांक 24.10.2013 के पत्र सं. 2011/टीजी-I/20/पी/जेटीबीएस (2013 का वाणिज्य परिपत्र सं. 66) के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'ई' कोटि के स्टेशनों पर एसटीबीएस की केवल एक वर्ष के लिए नियुक्ति करने के बारे में अनुदेश जारी किए गए थे।

2. इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर आशोधित एसटीबीएस योजना को रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

2.1 इस बीच, क्षेत्रीय रेलों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन एसटीबीएस, जो पहले से ही कार्यरत हैं और जिनका एसटीबीएस के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। रेलों ने एक वर्ष की अवधि के बाद इस योजना की समयावधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, इस मामले की रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि मौजूदा एसटीबीएस के कार्यकाल, जिनका एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, को अगले छः माह के लिए अथवा नए प्रावधानों के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाए।

3.1 सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्य(जी)।।
रेलवे बोर्ड

SELECTION OF STBS

सं. 2014/टीजी-I/20/पी/एसटीबीएस   नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

मनोज दुबे

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक वित्त (सी), विकाअ/टीसी, वित्त (सी) एवं सतर्कता (एस, एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ - 2260011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-71.